

गुजरात सरकार का उपक्रम

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)



बनारस नगरपालिका

बनारस नगरपालिका 10/2017-18

कार्य का नाम: सीमेंट के पिल्लर बनाने के लिए ।

गुजरात सरकार का उपक्रम

कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरुक्षेत्र

दूरभाष: 01744-259364 फैक्स 01744-259364

ई.मेल: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in वेबसाईट: www.hfdc.gov.in

बनारस नगरपालिका

fo"k l ph

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निविदा आमंत्रण सूचना	03
2	तकनीकी निविदा फार्म	04-05
3	वित्तीय बोली	06
4	आर.सी.सी. सीमेंट पिल्लर की ड्राईंग (Fig.1)	07
5	हल्फनामा	08
6	वचनपत्र	09
7	अनुबन्ध पत्र	10
8	निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्ते	11-12
9	अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्ते	13

प्रेस विज्ञापित
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
 (हरियाणा सरकार का उपक्रम)
 कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरुक्षेत्र
 दूरभाष /फैक्स न० 01744-259364 ई.मेल: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in
 वेबसाईट www.hfdc.gov.in

निविदा संख्या 10/2017-18

बिडिंग प्रक्रिया

महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र द्वारा सीमेंट के पिल्लर बनाने के लिए online निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। लगभग 5000 न० सीमेंट के पिल्लर तैयार किये जाने हैं। यह कार्य समयबद्ध हैं, जिसकी समय सीमा लगभग 2 माह तक होगी। सीमेंट पिल्लर की मात्रा कम/अधिक हो सकती हैं। इस कार्य पर अनुमानित खर्च 16.00 लाख रुपये होगा। अनुमानित खर्च की राशि सीमेंट पिल्लर की मात्रा अनुसार कम/अधिक हो सकती हैं। यह निविदा दिनांक 12.07.2017 से दिनांक 27.07.2017 बाद दोपहर 2.30 बजे तक online आमन्त्रित की जाती है। तकनीकी व वित्तीय बोली दिनांक 28.07.2017 को बाद दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। इस कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज/ जानकारी इस निगम की वेबसाईट: www.hfdc.gov.in & <https://haryanaeprocurement.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कार्य की निविदा के लिए फार्म फीस ₹500/- (पांच सौ रुपये) व ई-टैण्डिंग की फीस ₹1000/- (एक हजार रुपये) तथा ₹32,000/- (बत्तीस हजार केवल) बतौर ब्याना राशि अलग से [e-procurement portal https://haryanaeprocurement.gov.in](https://haryanaeprocurement.gov.in) पर जमा करवानी होगी।

महाप्रबन्धक
 हरियाणा वन विकास निगम
 कुरुक्षेत्र।

HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Haryana Govt. Undertaking) Office of : GENERAL MANAGER, HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD. KURUKSHETRA.	
NATURE OF WORK: MANUFACTURING OF RCC FENCING POST.	
TECHNICAL BID	
1. NAME AND FULL ADDRESS OF THE AGENCY/FIRM WITH MOBILE NO. AND E-MAIL ADDRESS	
2. NAME OF THE PROPRIETOR/PARTNERS OF THE AGENCY/FIRM.	
3. LEGAL STATUS OF AGENCY/ FIRM. A) PAN NUMBER B) GST NUMBER. C) EPF NO. D) ESI NO.	
4. HAVE YOU DEPOSITED EMD, FORM FEE, E-TENDER SERVICE FEES ETC? IF YES, GIVE FULL DETAIL OF DEPOSITED AMOUNT.	
5. HAVE YOU ATTACHED ALL RELEVANT DOCUMENTS RELATED TO TENDER ? IF YES, GIVE LIST OF ALL DOCUMENTS SEPARATELY. * AFFIDAVIT ON STAMP PAPER ATTESTED BY THE NOTARY PUBLIC CERTIFYING CLEARLY THAT THE INFORMATION GIVEN BY THE AGENCY/ FIRM ARE TRUE AND CORRECT AND ALSO ACCEPT THE ALL TERMS & CONDITIONS GIVEN IN THE TENDER. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE) * UNDERTAKING ON THE LETTER HEAD BY THE AGENCY/ FIRM TO KEEP THE FINANCIAL BID VALID FOR THE STIPULATED DECIDED TIME PERIOD TILL THE COMPLETION OF THE WORK. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE)	
6. DETAILS OF BANK OF AGENCY/ FIRM. A) NAME OF BANK B) BANK BRANCH WITH FULL ADDRESS C) TYPE OF ACCOUNT D) ACCOUNT No. E) IFSC CODE F) BANK ACCOUNT STATEMENT FOR THE LAST SIX MONTHS	

7. WORK EXPERIENCE (EXPERIENCE OF WORK WITH HARYANA FOREST DEPARTMENT/ HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION.)	
8. SIGNED COPY OF TERMS & CONDITIONS PAGES.	
9. WHETHER THE APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS TO LEAVE/POSTPONE ANY WORK AFTER TAKING INTO HANDS/IT'S INITIATION WITHIN SIX MONTH OF ALLOTMENT OF TENDER AND WORK. IF YES, GIVE DETAILED REASONS OF LEAVING/POSTPONEMENT OF WORK WITH THE NAME OF THAT PROJECT AND WORK.	
10. WHETHER THE APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS LEFT ANY WORK BEFORE IT'S COMPLETION. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH BASIC REASONS FOR WHICH THE WORK HAD BEEN LEFT.	
11. WHETHER APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS BEEN BLACK LISTED AFTER APPLYING FOR WORK OR AFTER ALLOTMENT OF WORK IN ANY GOVT. ORGANISATION AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH REASONS.	
12. WHETHER APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS BEEN CONVICTED BY THE HON'BLE COURT AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS .	
13. IF ANY OTHER INFORMATIONS, WHICH IS IMPORTANTENT/ NECESSARY AS PER YOUR OPINION, GIVE DETAILS.	

SIGNATURE OF THE BIDDER

Haryana Forest Development Corporation Limited

(Haryana Govt. Undertaking)

Office: General Manager, Haryana Forest Development Corporation Ltd. Kurukshetra
Tel./Fax No. 01744-259364 E-mail: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in Website: www.hfdc.gov.in

Tender No. 10/2017-18


Financial Bid

NATURE OF WORK: MANUFACTURING OF RCC FENCING POST.

S.N.	Name & Particular of work	Unit	Rate of Item including all taxes (in Rs.)	Remarks
1	<u>Material of RCC Fencing Post</u> 6mm steel rod ISI mark, Cement 9.5 Kg. ISI mark 43 Grade, Yamuna Sand 0.47 Cft, Stone aggregate 12mm 0.94 Cft. All material quantity & quality have been shown in the drawing Fig. 1.	1 No. RCC Fencing Post		
2	<u>Labour and Transportation Charges of RCC Fencing Post</u> Charges for manufacturing RCC Fencing Post, steel rods cutting and beam making, binding wire, cutter, vibrator, other equipments, arrangement of sufficient water for curing, adequate curing of RCC Fencing Post, lifting & stacking of RCC Fencing Post, transportation of manufactured RCC Fencing Post including loading & unloading in the District of Ambala, Panckula, Yamunanagar, Kurukshetra, Panipat, Karnal etc. The RCC Fencing Post will be manufactured as per the specification & drawing attached.	1 No. RCC Fencing Post		

Signature of the bidder

Fig.1



RCC FENCING POST:- RCC PRECAST WITH CONCRETE MIX OF M-15 GRADE (1:2:4), SMOOTH FINISH WITH CEMENT MARTAR 1:2, REINFORCED WITH 6 MM MS BARS. 6 MM BAR NIBS PROVIDED IN THE POST DURING CASTING.

हल्फनामा

1. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ इस निविदा मे मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य और सही है।
2. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ मुझे/मेरी फर्म मैसर्ज.....को पिछले पाँच वर्षों के दौरान ना ही तो सरकारी संगठनो ने मेरे कार्य को रद्द किया और ना ही मेरे/मेरी फर्म द्वारा निविदा जमा करवाने तक कोई कार्य बीच मे छोडा गया है।
3. मै/हम प्रमाणित करते है कि निविदा दस्तावेजों मे दिये गये निर्धारित सभी नियमो/शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूँ/करते है ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पद

फर्म का नाम.....

दिनांक.....

वचनपत्र

मै/हमारी फर्म मैसर्ज..... इस निविदा को जमा करवाने से 31.03.2018 तक की अवधि तक वैध रखने के लिए वचनबद्ध हूँ और इस बोली को 31.03.2018 तक की अवधि तक स्वीकार करता हूँ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पद.....

फर्म का नाम.....

दिनांक.....

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध दिनांक.....2017 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक..... व (सफल संविदाकार का नाम) के मध्य कार्यान्वित किया गया है।

हरियाणा वन विकास निगम लि. द्वारा(कार्य का नाम) की पूर्ति के लिए निविदाएं आंमात्रित की गई थी।..... सफल निविदाकर्ता की निविदा को मूल्यांकन व दर के आधार पर निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

कार्य का नाम.....स्वीकृत दर.....
दिनांक..... के वचन पत्र के अनुसार निविदाकर्ता निविदा सम्बन्धी सभी निर्देशों व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और समय-समय पर कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तों को भी मानने के लिए तैयार है। निविदाकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक.....दिनांक..... द्वारा सूचित किया गया है कि निगम के पत्र क्रमांक.....दिनांक..... के कार्य के प्रस्ताव को निविदा की निर्देशों व शर्तों के अनुसार पूर्ण करने के लिये तैयार है।

इस अनुबन्ध के अन्य विवरण इस प्रकार से है:-

1. इस अनुबन्ध में कार्य से सम्बन्धित आशयों का मतलब वही होगा जो निर्देशों व शर्तों में दर्शाया गया है।
2. निगम के निर्देशों व शर्तों के अनुसार किये गये कार्यों की अदायगी के लिए निविदाकर्ता निगम से मांग करेगा।
3. निगम किये गए कार्य को संतोषजनक पूर्ण पाकर बिलो की अदायगी करेगा।
4. यदि संविदाकार कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की राशि लेने का कानूनी हकदार नहीं होगा ।

निगम के अधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

गवाह

गवाह

1.

1.

2.

2.

भाग- I : निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्तें

- निविदा दस्तावेज निगम की वेबसाईट: www.hfdc.gov.in & <https://haryanaeprocurement.gov.in> से निर्धारित तिथियों के मध्य डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदक को निर्धारित शुल्क e-procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in> के माध्यम से जमा करवानी होगी।
- वित्तीय बोली में सर्विदाकारों द्वारा जो सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री के लिए दर भरे जायेंगे उसमें सभी प्रकार के खर्च (जी.एस.टी. ईत्यादि) जो कि खरीद के लिये दिये जाने बनते हैं शामिल करने होंगे अलग से किसी प्रकार का खर्च इस निगम द्वारा अदा नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर ईत्यादि समय-2 पर भारत सरकार/ हरियाणा सरकार द्वारा लगाया जायेगा, वह सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
- वित्तीय बोली में सर्विदाकारों द्वारा जो सीमेंट पिल्लर बनाने के लिए लेबर दर भरे जायेंगे उसमें सभी प्रकार के खर्च (ई.पी.एफ., ई.एस.आई. सर्विस चार्जिज, सुरक्षा उपकरण व औजार ईत्यादि) शामिल करने होंगे अलग से किसी प्रकार का खर्च इस निगम द्वारा अदा नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर ईत्यादि समय-2 पर भारत सरकार/ हरियाणा सरकार द्वारा लगाया जायेगा, वह सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
- सफल बोलीदाता/कार्य करवाने वाले सर्विदाकार को इस यूनिट द्वारा चैक/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ. टी. के माध्यम से राशि अदा की जायेगी, बैंक खाता सहित पूर्ण विवरण देना होगा।
- निविदा सम्बन्धी सभी प्रकार के शुद्धि पत्र या सूचना केवल हरियाणा वन विकास निगम की वेबसाईट पर ही प्रकाशित किये जायेंगे।
- निविदा खुलने की तिथि के दिन सरकारी अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
- इस निविदा सम्बन्धी लिखित सभी शर्तें आवेदक को हरियाणा वन विकास निगम की माननी होगी। आवेदक की शर्तों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यह निविदा वर्ष 2017-18 के लिए रेट अनुबन्ध करने के लिए सबसे कम रेट वाली फर्म/संस्था वाली फर्मों के साथ अनुबन्ध किया जाएगा।
- सभी निविदाकारों को निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। यह माना जाता है कि निविदाकारों द्वारा निविदा भरने से पूर्व निविदा सम्बन्धित सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ लिए गये हैं।
- निविदाकर्ता आवेदन करते समय निविदा दस्तावेज शुल्क, ब्याना राशि, तकनीकी निविदा (पूर्ण दस्तावेज) और वित्तीय निविदा/बोली सम्बन्धी सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में भरेगा।
- निर्धारित निविदा फार्म के अलावा अन्य फार्म पर भरी गई निविदा रद्द कर दी जायेगी।
- असफल आवेदक की ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- पूर्ण निविदा दस्तावेज आवश्यक स्थानों पर भरा हुआ और सभी पृष्ठों पर संख्या सहित व हस्ताक्षर किया हुआ हो।
- सर्विदाकार को तकनीकी बोली के साथ सीमेंट पिल्लर बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ लगाने होंगे
 1. फर्म के पंजीकरण की प्रति।
 2. पैन कार्ड की प्रति।
 3. कार्य का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 4. स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो कि पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हो जिस पर यह लिखा हो कि जो सूचना निविदाकार/बोलीदाता द्वारा दी गई है, वह सही है तथा वह निविदा में अंकित नियम व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। (प्रारूप संलग्न)
 5. फर्म/एजेंसी के लेटर हैड पर बोली को निर्धारित समय तक वैध रखने बारे वचन पत्र। (प्रारूप संलग्न)
 6. सर्विदाकार द्वारा जमा करवाई गई राशि की रसीद की प्रति।
- उपरोक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदाकार की बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज को बोली/निविदा खोलने के समय या उसके बाद जमा करवाने बारे कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रमाण पत्रों व पुष्टिकारक दस्तावेजों की प्रतियां भी निविदा खोलने से पूर्व समय पर भरेगें।
- उन निविदाकारों जिनकी तकनीकी निविदा/बोली योग्य/उपयुक्त पाई जाती है तो वित्तीय निविदाएं/बोली उन्ही की ही खोली जायेगी। अधूरी निविदाएं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- वित्तीय निविदाएं की गणितीय त्रुटियों के लिए निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जांच की जायेगी। गणितीय त्रुटियों को निविदा समिति के सदस्यों द्वारा निम्नप्रकार से ठीक किया जायेगा। आंकड़ों व शब्दों की दूरी में अन्तर पाये जाने पर, शब्दों में लिखी दर को माना जायेगा।
- निविदा दस्तावेजों पर हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के भरी गई निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- निविदाएं निविदाकारों/बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शाई गई तिथि व समय पर खोली जायेगी, यदि वह उस समय उपस्थित होंगे।
- निविदा के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, तुलना व सिफारिश सम्बन्धी जानकारी निविदाकारों को सफल निविदाकार की घोषणा तक अधिकारिक तौर पर प्रकट नहीं की जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में निविदा समिति के फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले निविदाकार की निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- कार्य की मात्रा व गुणवत्ता निगम के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पूर्ण व संतोषजनक सत्यापित होने पर जमा किए गए बिलों की अदायगी की जा सकेगी।
- निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर उसकी ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।
- निर्धारित कार्य पूर्ण करने व अन्तिम बिल की अदायगी होने के एक महीने के अन्दर जमानत व अमानत राशि भी वापिस कर दी जायेगी।
- बोलीदाता की बोली/निविदा की वैधता जमा करवाने की आखिरी तिथि से 31.03.2018 तक की अवधि की होगी। इस अवधि से कम वैधता वाली बोली को निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता को इस बारे अपने कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर वचन पत्र (अंडर टेकिंग) देना होगा।
- असाधारण परिस्थितियों में मूल समय सीमा की समाप्ति से पूर्व, निगम निविदाकर्ताओं को निविदा/बोली वैधता की अवधि को बढ़ाने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध और निविदाकर्ताओं के जवाब लिखित में या मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। निविदाकर्ता बिना ब्याना राशि जब्त करवाये ऐसे अनुरोध को मना कर सकता है। ऐसा अनुरोध को स्वीकार करने वाले निविदाकर्ताओं को अपनी बोली/निविदा (तकनीकी/वित्तीय) को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु वांछित समय तक बोली वैधता बढ़ानी होगी।
- सफल बोलीदाता को हरियाणा वन विकास निगम के सम्बन्धित महाप्रबन्धक के साथ समय पर कार्य का निष्पादन करने के लिए समझौता का अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर करना होगा।
- ऐसे निविदाकर्ताओं जिसकी बोली/निविदाएं योग्य नहीं पाई जाती उनकी ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
- सक्षम अधिकारी किसी भी या सभी निविदा/बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिस पर संविदाकार का कोई कानूनी हक नहीं होगा।
- इस निविदा सम्बन्धी कोई भी विवाद होने पर मामला सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक के पास रखा जायेगा। फिर भी विवाद न सुलझने की स्थिति में मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक- कम-प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला के पास भेजा जायेगा, जिनका फैसला सभी को मान्य होगा।
- सभी प्रकार की अदायगी जी.एस.टी. की सभी शर्तें पूर्ण करने उपरांत की जाएंगी। सीमेंट पिल्लर का निर्माण कार्य हमारे सॉ मिल की वक्शॉप, पिपली या बताये गये स्थान पर करना होगा।
- सीमेंट पिल्लर की पहुंच बताये गये स्थान पर करनी होगी जिसके लिए अलग से कोई अदायगी नहीं की जाएगी।
- संविदाकार को बिल प्रस्तुत करते समय कार्य पर लगाये गये मजदूरों की सूचि के साथ उनके खाते में आनलाईन/आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. द्वारा की गई राशि की अदायगी की विस्तृत सूचना साथ लगानी होगी।
- संविदाकार द्वारा लेबर को अदा की गई राशि पर ई.पी.एफ., ई.एस.आई. ईत्यादि जमा करवाने की विस्तृत सूचना बिल के साथ प्रस्तुत करेगा।
- इस निविदा सम्बन्धी विवाद होने पर मामला **कुरुक्षेत्र** न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा।

भाग-II : अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्तें

1. सर्विदाकार द्वारा सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री इस कार्यालय के प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा यों उसके प्रतिनिधि द्वारा बताए स्थान अनुसार एफ.ओ.आर. देनी होगी । सीमेंट पिल्लर बनाने का कार्य बताये गये स्थान पर करना होगा ।
2. सर्विदाकार को सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री की खरीद की अदायगी तभी की जायेगी जब इस कार्यालय के प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा यों उसके प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त की रसीद दे दी जायेगी कि सर्विदाकार द्वारा specification अनुसार सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री की सप्लाई की गई है ।
3. सर्विदाकार द्वारा सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री इस कार्यालय के प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा यों उसके प्रतिनिधि द्वारा बताये अनुसार करनी होगी । इनकी मात्र कम/अधिक हो सकती हैं जिसके बारे में सर्विदाकार को समय पर सूचित कर दिया जायेगा ।
4. सर्विदाकार को सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री व लेबर के बिलों की अदायगी बिल व सफल पंहुच की प्राप्ति की रसीद के पश्चात् 10 दिन के अन्दर-2 बैंक/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई. एफ.टी. के माध्यम से की जायेगी । नकद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
5. सर्विदाकार को सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री इस कार्यालय के प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा यों उसके प्रतिनिधि द्वारा बताए गये समय अनुसार तक पूर्ण करनी होगी । किसी विशेष परिस्थिति में ही इसकी म्याद आगे बढ़ाई जायेगी जिसमें सर्विदाकार को विशेष कारण दर्शा कर अपनी फर्म के लैटर हैड पर आवेदन करना होगा यह म्याद निर्धारित समय के लिए बढ़ाई जाएगी ।
6. सर्विदाकार द्वारा सीमेंट पिल्लर बनाने की सामग्री की गुणवत्ता व बनवाने की जाँच वन विभाग हरियाणा /वन विकास निगम का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी किसी भी समय कर सकता है ।
7. किसी प्रकार के वाद-विवाद का निपटारा सम्बन्धित वन संरक्षक व मुख्य महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला द्वारा किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मानना होगा । फिर भी विवाद न सुलझने की स्थिति में मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक-कम-प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला के पास भेजा जायेगा, जिनका फैसला सभी को मान्य होगा ।
8. यदि सर्विदाकार कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की राशि लेने का कानूनी हकदार नहीं होगा ।
9. कार्य के बिलों की अदायगी जी.एस.टी. नं. का प्रमाण-पत्र जमा करवाने उपरांत देय होगी ।
10. निर्माण कार्य निर्माण सामग्री के निरीक्षण उपरान्त निगम के कर्मचारी/अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा ।
11. कानूनी प्रक्रियाँ की सीमा जिला कुरुक्षेत्र में होगी ।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
कुरुक्षेत्र ।